

**न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 166/18

भूपेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह गुर्जर आयु 36 वर्ष  
निवासी ग्राम इटायंदा तहसील गोहदहाल निवासी  
क्यू 227 शताब्दीपुरम दीनदयाल नगर  
ग्वालियर मध्यप्रदेश

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मौ

—अनावेदक

11-05-2018

आवेदक/अभियुक्त भूपेंद्र सिंह की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आरक्षी केंद्र मौ से अप0क्र0 120/18 धारा 324, 452, 294, 506, 34 भा0दं0सं0 से संबंधित केस डायरी मय पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त भूपेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव ने प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त भूपेंद्र सिंह की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है, बल्कि आवेदक व उसके परिवारजनों की फरियादी पक्ष द्वारा अत्यधिक मारपीट करके गंभीर चोटें पहुंचाई हैं, जिसके संबंध में थाना मौ पर अप0क्र0 119/18 धारा 323, 294, 506, 34 भा0दं0सं0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसी अपराध से बचने के लिये फरियादी पक्ष ने पुलिस से मिलकर झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। आवेदक निर्दोष हैं यदि आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन सहित केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 04.05.18 को 16:00 बजे फरियादी रामसरन सिंह गुर्जर अपने घर पर बैठा था उसी समय उसके गांव के राय सिंह, शिवम, भूपेंद्र गुर्जर पुरानी रंजिश को लेकर अपने हाथ में फर्सा, कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पर एक राय होकर आये और उसे माँ बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। उसने गालियां देने से मना किया तो तीनों लोग उसके घर के अंदर घुस आये। शिवम ने उसे फर्सा मारा जो सिर में लगा चोट होकर खून निकला व राम सिंह ने उसके बायें कंधे में कुल्हाड़ी की मूंद मारी जिससे मुंदा चोट आई। भूपेंद्र ने उसकी जात घूसों से मारपीट की जिससे शरीर में जगह जगह मुंदा चोटें आईं। वह चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर बलवीर व राजेश उसे बचाने आये, जिन्होंने उसका बीच बचाव कराया व घटना देखी थी। जाते समय तीनों अभियुक्तगण ने जान से खत्म करने की धमकी दी।

उक्त घटना की फरियादी रामसरन सिंह गुर्जर द्वारा मौखिक रिपोर्ट लिखाये जाने पर आवेदक सहित अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अप0क0 120/18 धारा 324, 452, 294, 506, 34 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार फरियादी पक्ष के आवासीय मकान में आवेदक/अभियुक्त भूपेंद्र सिंह सहित अन्य सहअभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश पर से एक राय होकर फर्सा व कुल्हाड़ी से सुसज्जित होकर फरियादी पक्ष के आवासीय मकान में घुसकर फर्सा व कुल्हाड़ी से मारपीट करते हुये सिर व कंधे में चोटें पहुंचाया जाना बताया गया है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है।

अतः अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त भूपेंद्र सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार उसकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड